

फर्द अहकाम

पुस्तक बनाम विख्या को

आम न्यायालय DCm-II  
केस संख्या हावा - 136/2008

DCm-II  
हावा - 136/20

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से   | क आज्ञा या कार्यवाही |
|-------------|---------------------------|--|----------------------|
|             |                           | <p>आज दिनांक <u>१०/१/१८</u> को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>१५/१०/१८</u> को पेश हो।</p> |                      |
|             | २५/१०/१८                  | <p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय कानून व्यवस्था/सुनारण का ड्यूटी पर पधार रहे हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>१२/११/१८</u> को पेश हो।</p>   |                      |
|             | १२/१२/१८                  | <p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय कानून व्यवस्था/सुनारण के ड्यूटी पर पधार रहे हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>१३/१२/१८</u> को पेश हो।</p>   |                      |
|             |                           | <p>आज दिनांक <u>१३/१/१९</u> को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>१३/१/१९</u> को पेश हो।</p>  |                      |
|             | १३/३/१९                   | <p>पत्रावली पेश हुई। पकुलाय फरीकन उपस्थित। पकील वादी नोटिस तलबना पेश करने हेतु समय चाहते हैं जबकि पकील वादी को नोटिस तलबना पेश करने हेतु पूर्व में दिनांक ७/३/१८</p>   |                      |

फर्द अहकाम

न्यायालय DCM-II पृष्ठ 5 बनाम विद्या वर्मा

संख्या दावा - 136/2008

| संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से  | विशेष विवरण |
|--------|---------------------------|---|-------------|
|        |                           | <p>को अंतिम अवसर दिया जा चुका है उसके बाद भी वह पेशियाँ गृह जाने के बाद भी वकील वादी द्वारा नोटिस चलाना पेश नहीं किया ना ही न्यायालय आदेशों की पालना की। वकील वादी द्वारा जानबूझकर न्यायालय समय व्यर्थ किया गया है। अतः वादी का वाद खारज होना व खर्च निवेद्यता न्यायालय आदेशों की अवहेलना में खारिज किया जाता है। फावली लेखल शुमार लेकर दर्ज नंबर से फर्म लेकर दायित्व दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/3/2019 को लिखा जाकर सारे इजलास सुनाया गया।</p> |             |

न्यायक कलान्तर एवम् कार्यालय  
मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर दिनांक